433

न्यायालयः—माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक0 /2017 निगरानी R 1175 II-17

संदीप सिंह यादव पुत्र स्व. श्री साधू सिंह यादव निवासी ग्राम गुदावली तहसील मेंहगाव जिला भिण्ड म.प्र., हाल निवास न्यू कालोनी नं. 3 मकान 10 कम्यूनिटी हांल के पीछे विरला नगर ग्वालियर म.प्र.

——— आवेदक

S.P. Dhakar Ad. 18-04-2017 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड
2. राकेश } पुत्रगण
3. राजू उर्फ राजवीर } बैजनाथ

निवासीगण ग्राम कतरौल तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड के प्र.क. 1/निगरानी स्वमेव/2016—17 मे पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

S.P. Dhakar 18.04.17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थित इस प्रकार है। कि ग्राम कतरोल मे स्थित बंदोबस्त के पूर्व भूमि सर्वे क. 2008 व 2009 जिसके बन्दोवस्त के बाद नवीन सर्वे क. 2143/7 रकवा 3.000 हें., 2143/10 हें. पर कब्जे के आधार पर पटटा ग्रहीता द्वारा नायव तहसीलदार वृत्त मेंहगांव के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क. 66/1995—96/अ—19 पर पंजीवद्ध किया गया। आपत्ति आहुत नही की गई समयावधि मे कोई आपत्ती प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया तथा पटटाग्रहीतागण स्वयं के कथन लिये गये पटवारी हल्का क. 70 से स्थल निरीक्षण नही कराया गया स्वतंत्र साक्ष्य भी नही ली गई। विधिवत कार्यवाही सम्पन्न नही

3

XXIX(a)-BR(H)-11

(433)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1175-दो/17 **जिला - भिण्ड**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-1-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	